स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 279, दिनांकः 06.11.2020

दूसरे व्यक्ति के शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से जनपद सीतापुर में नियुक्त शिक्षक को एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने किया गिरफ्तार।

श्री बजरंग भूषण पुत्र रामसूरत Assistant professor in Education दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा के शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर प्राथमिक विद्यालय पर्वतपुर विकासखण्ड बेहटा जनपद सीतापुर में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार करने में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1. ऋषिकेश मणि त्रिपाठी पुत्र राममणि त्रिपाठी निवासी बेलही तिवारी बैतालपुर, गौरीबाजार, देवरिया।

बरामदगीः–

1. बजरंग भूषण के नाम से शैक्षिक दस्तावेज 10 वर्क
2. 01 अदद ऋषिकेश मणि नाम से आधार कार्ड नं0–885113442080 की छाया प्रति
3. 01 अदद बजरंग भूषण नाम से आधार कार्ड नं0–978197961061
4. 01 अदद बजरंग भूषण के नाम से एस0बी0आई0 एटीएम कार्ड नं0–5596010153150980
5. 01 अदद ऋषिकेश मणि के नाम से पी0एन0बी0 एटीएम कार्ड नं0–5575542010962673
6. 02 अदद मोबाइल फोन
7. रूपया–620/– नगद

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–

जी0आई0सी0 चौराहा, जनपद सीतापुर से। दिनांक–05.11.2020, समय 18:15 बजे

एसटीएफ लखनऊ मुख्यालय को फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से शिक्षक नियुक्त होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन फर्जी तरीके से नियुक्त शिक्षको के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 को हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 मुख्यालय गठित टीम द्वारा जाँच/अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी क्रम में श्री बजरंग भूषण पुत्र रामसूरत Assistant professor in Education दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पैन नं0–AUTPB4908P पर वर्ष 2020–21 में Finance & Account Officer Basic Education Sitapur के Tan Number LKNFO5133Cl से रू0–53879/– जमा किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके शैक्षिक व अन्य दस्तावेजों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद सीतापुर में दूसरा कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से नियुक्त होकर नौकरी कर रहा है।

प्राप्त शिकायत के क्रम में निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया तथा गोपनीय तरीके से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद सीतापुर के माध्यम से उपरोक्त शिक्षक के शैक्षिक दस्तावेजों की प्रति प्राप्त की गयी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद सीतापुर से प्राप्त उपरोक्त शिक्षक के अंकपत्रों का सत्यापन राष्ट्रीय इण्टर कालेज तहबरपुर, आजमगढ़ से कराया गया, तब ज्ञात हुआ कि शैक्षिक दस्तावेज सही हैं। अभिलेखों में पता इनायतनगर पूरेछत्ता बीकापुर फैजाबाद दर्ज है। उपरोक्त पते पर जानकारी करायी गयी, तब ज्ञात हुआ कि श्री बजरंग भूषण पुत्र रामसूरत वर्तमान में Assistant professor in Education के पद पर दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा में नियुक्त हैं, जिनका मोबाइल नम्बर 9450901620 है। तद्नुसार एस0टी0एफ0 टीम द्वारा जी0आई0सी0 चौराहा, जनपद सीतापुर से प्राथमिक विद्यालय पर्वतपुर, विकासखण्ड बेहटा, जनपद सीतापुर में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त फर्जी शिक्षक को दिनांक–05.11.2020 को समय 18:15 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त/फर्जी शिक्षक बजरंग भूषण ने बताया कि उसका असली नाम **ऋषिकेश मणि त्रिपाठी पुत्र राममणि त्रिपाठी निवासी बेलही तिवारी बैतालपुर, गौरीबाजार, देवरिया है** तथा जन्मतिथि 14.09.1983 है। प्राथमिक शिक्षा गोविन्द शिशु शिक्षा निकेतन बैतालपुर में हुई तथा हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 1996 में थापर इण्टर कालेज बैतालपुर से किया तथा वर्ष 1998 में महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किया। बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मडपही, जनपद देवरिया से बी0ए0 की परीक्षा वर्ष 2004 में उत्तीर्ण किया। वर्ष 2008 में उसका विवाह स्नेहलता तिवारी पुत्री रमाशंकर तिवारी निवासी ग्राम नोनापार, थाना भटनी, जनपद देवरिया से हुआ।

कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि उसके पिता अशोक इण्टर कालेज, परपा, देवरिया में लेक्चरर के पद पर नियुक्त थे, जिन्होंने किसी के माध्यम से बजरंग भूषण का शैक्षिक दस्तावेज एवं उसकी पत्नी स्नेहलता तिवारी को स्वाती तिवारी पुत्री विनोद चन्द्र तिवारी का शैक्षिक दस्तावेज उपलब्ध कराया था। बजरंग भूषण के शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर वर्ष 2009 में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित हुआ तथा जनपद सीतापुर में प्रशिक्षण के उपरान्त प्राथमिक विद्यालय गेरूहा ब्लाक, लहरपुर, जनपद सीतापुर में नियुक्त हुआ था। उसकी पत्नी स्नेहलता तिवारी पुत्री रमाशंकर तिवारी वर्तमान में स्वाती तिवारी पुत्री विनोद चन्द्र तिवारी के शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर प्रधानाध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर, जनपद सीतापुर में नियुक्त हैं। स्वाती तिवारी पुत्री विनोद चन्द्र तिवारी के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वास्तविक स्वाती तिवारी पुत्री विनोद चन्द्र तिवारी वर्तमान में सहायक अध्यापक के पद पर कन्या प्राथमिक विद्यालय, कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर में नियुक्त हैं। स्वाती तिवारी पुत्री विनोद चन्द्र तिवारी उपरोक्त के शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर जनपद बाराबंकी एवं जनपद देवरिया में 02 अन्य शिक्षिका फर्जी तरीके से चयनित होकर नौकरी कर रही थी। जनपद बाराबंकी में नियुक्त स्वाती तिवारी के नाम से तथाकथित फर्जी शिक्षिका को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा जनपद देवरिया एवं जनपद बाराबंकी में फर्जी तरीके से नियुक्त स्वाती तिवारी पुत्री विनोद चन्द्र तिवारी नामक शिक्षिकाओं को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त ऋषिकेश मणि त्रिपाठी पुत्र राममणि त्रिपाठी निवासी बेलही तिवारी बैतालपुर गौरीबाजार देवरिया एवं स्नेहलता तिवारी पुत्री रमाशंकर तिवारी (प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर जनपद सीतापुर) नि0–नोनापार भटनी देवरिया एवं अभियुक्त ऋषिकेश मणि त्रिपाठी के पिता रामणि त्रिपाठी के विरूद्ध कोतवालीनगर, जनपद सीतापुर में मु0अ0सं0 655/2020 धारा–409, 419, 420, 467, 468, 471, भादवि पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।